<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,</u>
<u>(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।</u>
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1163/12A/2026
UPBH010033342026

तिलकराम, उम्र 58 साल, पुत्र शिव प्रसाद, निवासी ग्राम लोधनपुरवा दा० गाजीपुर गुलहरिया, थाना हुजूरपुर, जनपद बहराइच।

------प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उ०प्र० सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, बहराइच। ---------अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या 117/2026,
धारा 64(1) भा०न्या०सं०,
थाना हुजूरपुर, जनपद बहराइच।

<u>दिनाँक 16.06.2026</u>

1– यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त तिलकराम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 117/2026, धारा 64(1) भा०न्या०सं०, थाना हुजूरपुर, जनपद बहराइच के मामले में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार, बहराइच में निरुद्ध है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी के जेठ राजाराम की हालत गम्भीर थी जिन्हें लेकर वादिनी के पति ननकू व भतीजे राजू दिनाँक 29.04.2026 से जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती कराये हुए थे। वादिनी घर पर अपने दो छोटे–छोटे बच्चों के साथ अकेली थी कि रात करीब 12–01 बजे के बीच गाँव का ही तिलक जो वादिनी का पड़ोसी है, घर के पीछे लगी टटिया की रस्सी काटकर घर में घुस आया। वादिनी बच्चों के साथ घर में बरामदे में लेटी थी कि विपक्षी ने पहुँचते ही वादिनी का मुँह साध लिया और जबरिया वादिनी के साथ दुष्कर्म करने लगा। विपक्षी के चंगुल से छूटते ही वादिनी चिल्लायी तो वह पीछे के रास्ते से ही भाग गया। विपक्षी का आधार कार्ड़, दो फोटो व चालीस रुपये बिस्तर पर ही गिर गया जो वादिनी के पास मौजूद है।

3– प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्य झूँठे एवं बनावटी है। दोनों पक्षों के बीच में काफी दिनों से रंजिश व दुश्मनी चली आ रही है और उभयपक्ष के बीच कई आपराधिक मुकदमे विचाराधीन हैं। प्रार्थी/अभियुक्त की सगी पुत्री पिंकी के साथ दिनाँक 09.08.2025 को प्रथम सूचिका के सहयोग से उसके पति ननकू द्वारा दुष्कर्म किया गया था, जिसकी रिपोर्ट

थाने में न लिखे जाने के बाद न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो ऐक्ट, बहराइच पर एक आवेदन अन्तर्गत धारा 173(4) भा०ना०सु०सं० के तहत दाखिल किया गया जो बाद में कम्प्लेन्ट केस में परिवर्तित हुआ और तलबी बहस की दिनाँक 04.05.2026 को नियत करते हुए प्रथम सूचिका पूजा व उसके पति ननकू को धारा 225 भा०ना०सु०सं० के तहत नोटिस न्यायालय से निर्गत हुई। जिसके उपरान्त प्रथम सूचिका व उसके पति ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पाक्सो ऐक्ट के न्यायालय के कार्यालय से उक्त पत्रावली तिलकराम प्रति ननकू का मुआयना कराया और उसी पत्रावली पर लगे फोटो व आधार कार्ड़ से झूँठा साक्ष्य गढ़ने के लिए फोटो व आधार कार्ड़ बनवा लिया। वादिनी मुकदमा श्रीमती पूजा ने इस घटना के पहले भी प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध थाना हुजूरपुर से छेड़खानी का एक मुकदमा चला चुकी हैं। प्रथम सूचिका के बयानों में भिन्नता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथित कोई घटना कारित नहीं की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार की जाये।

4– राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया और कहा गया कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार जैसा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः उसकी जमानत स्वीकार न की जाये।

5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

6– दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के क्रम में दौरान विवेचना विवेचक द्वारा केस डायरी में संकलित पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 भा०ना०सु०सं० में पीड़िता ने अभियोजन कथानक प्रथम दृष्टया समर्थन किया है। इसी क्रम में बयान अन्तर्गत धारा 183 भा०ना०सू०सु० में भी अभियोजन कथानक के क्रम में पीड़िता ने प्रथम दृष्टया समर्थन कर कथन किया है कि दिनाँक 29.04.20269 को पीड़िता के जेठ जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती थे। पीड़िता घर पर अपने दोनों बच्चों को लेकर सो रही थी। घर के बाकी लोग व पति सब हास्पिटल में गये थे। तिलकराम व तीन अन्य लोग पीड़िता के घर में बांका लेकर टटिया काटकर घुस गये। दो लोगों ने मुँह पर कपड़ा बाँध रखा था। किसी ने हाथ पकड़ा किसी ने पैर पकड़ा और तिलकराम ने पीड़िता के पेट पर बैठकर उसके मुँह में कपड़ा ठूँसकर बलात्कार किया। पीड़िता के बच्चे चिल्लाने लगे तो वह लोग भाग गये। पीड़िता द्वारा अपने बयान में यह भी कथन किया गया है कि दौरान घटना अभियुक्त के जेब से पहचान पत्र व फोटो घटनास्थल पर गिर गया व चालीस रुपये गिरे जो पीड़िता के पास हैं। इस प्रकार दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पीड़िता के संकलित बयानों व केस डायरी पर मौजूद अन्य साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त तिलकराम द्वारा पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक सम्बन्ध बनाते हुए बलात्कार कारित किये जाने का आक्षेप अभियोजन द्वारा दर्शाया गया है। अभियुक्त प्राथमिकी में नामजद है। प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत के स्तर पर रंजिश होने के सम्बन्ध में जो भी तर्क प्रस्तुत किये गये हैं वह साक्ष्य का विषय है तथा इस स्तर पर न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता के उक्त तर्कों में कोई बल नहीं पाती है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। इस स्तर पर अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने से विवेचना प्रभावित हो सकती है।

7– अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस, अपराध की प्रकृति, केस डायरी में संकलित साक्ष्य, पीड़िता के धारा 180

भा०ना०सु०सं० व धारा 183 भा०ना०सु०सं० में किये गये कथन, अपराध के विषय में अभियुक्त की भूमिका व अपराध की गम्भीरता पर विचार करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त तिलकराम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 117/2026, धारा 64(1) भा०न्या०सं०, थाना हुजूरपुर, जनपद बहराइच के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(**बृजेश कुमार यादव**)
अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी०–।
(महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित वाद), बहराइच।
जे०ओ० कोड़– यू०पी० 1605

दिनांकः16.06.2026